

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी। तदनुसार, इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या I-14011/03/2013-IPS.I (II) dt. 05.11.2013 अधिक्रमित को किया जाता है।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में भारत सरकार द्वारा चयन सूची वर्ष 2010 के लिए पुनः निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध पुनः अधिसूचित करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

पुनरीक्षा चयन सूची 2010

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि
1.*	इकबाल सिंह	01.12.1957	05.11.2013
2.*	पवन कुमार	02.01.1959	05.11.2013
3.	बलजोत सिंह राठौर	21.12.1966	05.11.2013
4.	गुरप्रीत सिंह भुल्लर	05.10.1967	05.11.2013
5.	हरदयाल सिंह	01.09.1961	05.11.2013
6.	हरबाज सिंह	15.03.1962	05.11.2013
7.	गुरप्रीत सिंह	28.05.1962	05.11.2013

*सेवानिवृत्त

3. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलों के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

31-1-21
(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)
Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

{भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ}

सं. I-14011/22/2020-IPS.I (E) (II) (b)

भारत सरकार / गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 07.04.2021

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी। तदनुसार, इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या I-14011/03/2013-IPS.I (II) dt. 05.11.2013 अधिक्रमित को किया जाता है।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में भारत सरकार द्वारा चयन सूची वर्ष 2011 के लिए पुनः निर्धारित रक्तियों के विरुद्ध पुनः अधिसूचित करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

पुनरीक्षा चयन सूची 2011

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि
1.*	हरजिंदर सिंह	10.10.1957	05.11.2013
2.	गुरप्रीत सिंह गिल	03.08.1962	05.11.2013

*सेवानिवृत्त

3. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलों के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

31-1-21

(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी। तदनुसार, इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या I-14011/03/2013-IPS.I (II) dt. 05.11.2013 अधिक्रमित को किया जाता है।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में भारत सरकार द्वारा चयन सूची वर्ष 2012 के लिए पुनः निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध पुनः अधिसूचित करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

पुनरीक्षा चयन सूची 2012

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	गुरदयाल सिंह	18.03.1966

3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामले के परिणाम के अधीन होंगी।

31-1-22
(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी। तदनुसार, इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या I-14011/15/2014-IPS.I (II) dt. 10.03.2015 अधिक्रमित को किया जाता है।

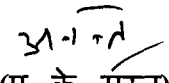
2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में भारत सरकार द्वारा चयन सूची वर्ष 2013 के लिए पुनः निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध पुनः अधिसूचित करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

पुनरीक्षा चयन सूची 2013

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	मनदीप सिंह	11.04.1965
2.	नरिंदर भार्गव	30.06.1964
3.	रंजीत सिंह	13.01.1965

3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलो के परिणाम के अध्यधीन होंगी।


(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

{भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ}

सं. I-14011/22/2020-IPS.I (E) (V) (b)

भारत सरकार / गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 07.04.2021

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2014 के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं :

चयन सूची 2014

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	राजपाल सिंह	18.08.1966

3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलो के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

5. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

31-1-21
(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

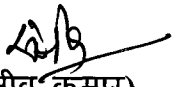
प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (ऐन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

{भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ}

सं. I-14011/22/2020-IPS.I (E) (VI) (b)

भारत सरकार / गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 07.04.2021

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2015 के लिए निर्धारित रक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

चयन सूची 2015

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	अजय मलुजा	31.03.1965

3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामले के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

5. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।


(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

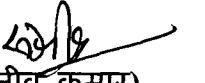
मिंटो रोड, नई दिल्ली।

सं. I-14011/22/2020-IPS.I (E) (VI) (b)

नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2016 के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

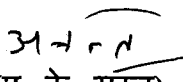
चयन सूची 2016

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	राकेश कुमार कौशल	16.08.1964
2.	हरचरण सिंह भुल्लर	12.10.1967

3. उपरोक्त अधिकारी (सिवाय Sl. No. 2 अधिकारी के) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलों के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

5. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।


(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

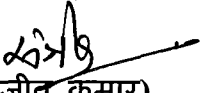
प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (ऐन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2017 के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

चयन सूची 2017

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	सतिंदर सिंह	17.07.1970
2.	हरमनबीर सिंह	15.11.1969
3.	अशवनी कपूर	30.08.1965
4.	सुखवंत सिंह गिल	08.09.1966

3. उपरोक्त अधिकारी (सिवाय Sl. No. 4 अधिकारी के) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामले के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

5. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

31-1-21
(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)
Tel. 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

{भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ}

सं. I-14011/22/2020-IPS.I (E) (IX) (b)

भारत सरकार / गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 07.04.2021

अधिसूचना

माननीय पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 6801/2013 श्री गुरदयाल सिंह एवम अन्य तथा दूसरे सम्बंधित केस में समेकित आदेश दिनांक 02.11.2018 के अनुपालन में पंजाब काडर के आईपीएस प्रमोशन के लिए एक पुनरीक्षा चयन समिति बैठक 29.01.2021 को आयोजित की गयी।

2. राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2018 के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं:

चयन सूची 2018

क्रमसं०	अधिकार्यों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	जसप्रीत सिंह सिद्धू	29.08.1963
2.	गुरमीत सिंह चौहान	31.01.1968
3.	नवीन सैनी	18.11.1967

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर CWP संख्या 10914/2020 श्री सुरिंदर पाल सिंह परमार एवम अन्य बनाम पंजाब राज्य एवम अन्य मामलों के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

31-1-21
(ए. के. सरन)

निदेशक (पुलिस)

Tel. 011-23093256

सेवा में,

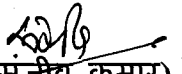
प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ – यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव] संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी एस रावत, अवर सचिव ए0आई0एस0) धौलपुर हाउस] शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली : सूचनार्थ ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
- 5 निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । [under “https://ips.gov.in/App_Punjab.aspx”]


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार